

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठारान अधिकारी श्री रोहित चौहान (आर.ए.एस.)
आवाग

प्राथमिक डिक्री

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. मलारिंह 2 माधुसिंह 3 दानसिंह 4 अभयसिंह 5 दुर्जनसिंह पि0 खुमानसिंह 6 पवनकुमारसिंह पुत्र माधुसिंह 7 धनश्यामसिंह पुत्र माधुसिंह 8 रेखा कंवर पत्नी पवनकुमारसिंह जातियान राजपूत निवासी राहडार जैसलमेर हाल निवासीयान गांधीनगर बाड़मेर		1 हीरेन्द्रसिंह पुत्र कमलसिंह 2 भवानीसिंह पुत्र कमलसिंह जातियान राजपूत निवासीयान दुधवा तहसील चौहटन 3 नारायणसिंह पुत्र बलवंतसिंह 4 कुशलसिंह पुत्र हडवन्तसिंह जातियान राजपूत निवासीयान जानसिंह की बेशी 5 येनसिंह पुत्र देवीसिंह 6 वीरसिंह पुत्र देवीसिंह 7 भवानीसिंह पुत्र श्यामसिंह 8 दरिया कंवर पत्नी हरिसिंह जातियान राजपूत निवासीयान दुधोडा तहसील गडरासोड 9 डेलकंवर पत्नी बलवंतसिंह 10 मनोहरसिंह पुत्र बलवंतसिंह 11 जबरसिंह पुत्र बलवंतसिंह 12 जयसिंह पुत्र अनोपसिंह 13 श्यामसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह 14 धनपतरसिंह पुत्र राणसिंह 15 बालसिंह पुत्र जवानसिंह 16 हरिसिंह पुत्र बालसिंह जातियान राजपूत निवासीयान सुन्दरा तहसील गडरासोड 17 नाथुसिंह पुत्र खुमानसिंह 18 गोहनसिंह पुत्र हिन्दुसिंह जातियान राजपूत निवासी रोहिली 19 पहाडसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी तिवनियार 20 विक्रमसिंह पुत्र छुगसिंह जाति राजपूत निवासी बेरियों का वास बाड़मेर 21 राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार बाड़मेर

जावा बाबत 88, 53, 188 रा.का.अ.


मुकदमा नम्बर :- 63/2021

निर्णय दिनांक :-

वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी संख्या 01 से 04. की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 22.02.2022 को श्री रोहित चौहान, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाड़मेर कं समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और प्राथमिक डिक्री निम्नप्रकार दी जाती है कि :-

वादी का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा बाड़मेर शहर पटवार क्षेत्र बाड़मेर शहर तहसील व जिला बाड़मेर में खसरा नंबर 2607/1269 रकबा 04.02 बीघा व खसरा नंबर 3515/1269 रकबा 10 बीघा मे वादीगण संख्या 01 से 5 का 01 बीघा तथा वादीगण संख्या 06 से 8 का रकबा 3.10 बीघा भूमि को खातेदारी का धोषित किया जाता है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 तक की भूमि का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि पक्षकारान एवं मौत बिरान की उपस्थिति में मौजा बाड़मेर आगौर पटवार क्षेत्र बाड़मेर आगौर तहसील व जिला बाड़मेर में खसरा नंबर खसरा नंबर 2607/1269 रकबा 04.02 बीघा व खसरा नंबर 3515/1269 रकबा 10 बीघा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 04 तक की भूमि का कब्जा काश्त अनुसार भूमि का विभाजन का प्रस्ताव तैयार कर एक माह में उपलब्ध करवाये। शेष खाता बदरतुर रहेगा कमीश्नर शुल्क रु. 1000/- निर्धारित की जाती है जो वादीगण द्वारा मौके पर अदा की जायेगी।

यह आज तारीख 22.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(रोहित चौहान)

सहायक कलक्टर

उपखण्ड (उपखण्ड) बाड़मेर, सहायक
कलक्टर, बाड़मेर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4 रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमीश्नर की फीस		कमीश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामिल			
	जोड़		जोड़